

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 3568**] No. 3568] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 2018/भाद 19, 1940

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 2018/BHADRA 19, 1940

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

#### (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

का.आ. 4715(अ).—केन्द्रीय सरकार, मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का 16) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 सितंबर, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवत्त होंगे।

[फा. सं. टी-11020/50/1999-नाको(पीएंडसी)]

आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

# (Department of Health and Family Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

**S.O. 4715**(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (16 of 2017), the Central Government hereby appoints the 10<sup>th</sup> day of September, 2018, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. T-11020/50/1999-NACO (P&C)]

ALOK SAXENA, Jt. Secy.

5298 GI/2018